

क्रमांक 1188646

जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति  
(कक्षा 8 वीं बोर्ड )

## जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, चित्तौड़गढ़ (राज.)

कक्षा 8 वीं बोर्ड पैटर्न परीक्षा, 2009

## प्रमाण पत्र व अंकतालिका

नामांक	शाला प्रवेशांक	नियमित/ स्वयंपाठी	मू. केन्द्र का नाम
11057	1228	Private	Ahmedabad

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/श्रीमती ajey

पिता का नाम श्री ajey

माता का नाम श्रीमती ajey

जन्म दिनांक अंकों में 05-06-2003

शब्दों में five june two thousand and three

ने सत्र 2008-2009 में जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति द्वारा आयोजित कक्षा आठवीं बोर्ड पैटर्न परीक्षा केन्द्र/विद्यालय LBS

से प्रविष्ट होकर निम्नांकित विषयों में दर्शाये गये प्राप्तांक सहित उत्तीर्ण की ।

क्र.सं.	विषय	पूर्णांक			न्यूनतम उत्तीर्णांक	प्राप्तांक		
		सत्रांक	वार्षिकांक	योग		सत्रांक	वार्षिकांक	योग
1.	हिन्दी	20	80	100	36	18	63	81
2.	अंग्रेजी	20	80	100	36	18	63	81
3.	गणित	20	80	100	36	18	63	81
4.	विज्ञान	20	80	100	36	18	63	81
5.	सामाजिक विज्ञान	20	80	100	36	18	63	81
6.	Sanskrit / Urdu	20	80	100	36	18	63	81
7.	कार्यानुभव	60	40	100	36	18	63	81
8.	कला शिक्षा	60	40	100	36	18	63	81
9.	स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा	60	40	100	36	18	63	81
		कुल योग		900	प्रतिशत	76.2		

परिणाम : PASS

श्रेणी : Regular

वरीयता क्रमांक :

स्थान : चित्तौड़गढ़

दिनांक : 19-jun-2023

( विशेष विवरण हेतु कृ.प.उ.)

अध्यक्ष एवं प्रधानाचार्य  
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान  
जिला चित्तौड़गढ़

## विशेष विवरण

- उत्तीर्णता नियम : 1. परीक्षार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए वार्षिक परीक्षा में बैठना अनिवार्य है ।  
2. परीक्षार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक विषय में न्यूनतम 36% अंक लाना अनिवार्य है, लेकिन वार्षिक परीक्षा की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक विषय में कम से कम 20% अंक लाना अनिवार्य होगा ।

कृपांक : यदि परीक्षार्थी एक या दो विषयों में असफल होता है तो उसे अधिकतम 6 अंक का कृपांक दिया जा सकता है, दो विषय होने पर कृपांक किसी भी अनुपात में दिया जा सकता है जैसे 1+5, 2+4, 3+3 अथवा 6 आदि ।

- श्रेणी निर्धारण : 1. 60% या अधिक (540 एवं इससे अधिक अंक) प्रथम श्रेणी  
2. 48% से अधिक परन्तु 60% से कम (432 से 539) द्वितीय श्रेणी  
3. 36% से अधिक परन्तु 48% से कम (324 से 431) तृतीय श्रेणी  
4. श्रेणी निर्धारण कृपांक रहित प्राप्तांकों के वृहद योग के आधार पर ही किया जावेगा ।  
5. प्रत्येक विषय में 75% या अधिक अंक आने पर विशेष योग्यता (D) देय होगी।  
6. विषय 1-6 के लिए सत्रांक एवं वार्षिकांक के पूर्णांक क्रमशः 20 व 80 है । विषय 7-9 के लिए सत्रांक एवं वार्षिकांक के पूर्णांक क्रमशः 60 व 40 है ।

पुनर्गणना नियम : पुनर्गणना के लिए आवेदन -पत्र निर्धारित शुल्क 20 रु. प्रति विषय के साथ, परीक्षा परिणाम की घोषणा के पश्चात् 23.04.2009 तक संस्था प्रधान / केन्द्राधीक्षक के पास विद्यार्थी या अभिभावक द्वारा प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए। पुनर्गणना में निम्न बातों की जाँच की जाएगी -

1. सभी प्रश्न जांचे गये हैं या नहीं।
2. अंकों का योग सही है या नहीं।

ABBREVIATION :- AA- अनुपस्थित, F-अनुत्तीर्ण, S- पूरक, D - विशेष योग्यता

विद्यालय द्वारा प्रदत्त अंक तालिका एवं प्रमाण-पत्र में की गई प्रविष्टि में हेर फेर अथवा रद्दोबदल कर देने पर यह दंडनीय कार्य माना जावेगा।

## विद्यालय प्रधान / केन्द्राधीक्षक द्वारा पृष्ठांकन

प्रमाण पत्र व अंकतालिका में सभी प्रविष्टियों की जाँच कर ली गई है जो कि सही है। परीक्षार्थी जिसके हस्ताक्षर नीचे किए हुए हैं को प्रमाण पत्र व अंकतालिका सहित दिनांक .....को दिया गया ।

जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
सम्बन्धित विद्यालय

विद्यालय प्रधान / केन्द्राधीक्षक के हस्ताक्षर  
मय मोहर

( परीक्षार्थी को यदि मूल प्रमाण - पत्र व अंकतालिका सहित उक्त पृष्ठांकन के बिना दिया गया हो तो यह अमान्य होगा )